परिपत्र संख्या- 1011038/वर्ष 2010

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(एडीशनल कमिश्नर कैम्प)

संख्या-एडी0कमि0 कैम्प//2010-2011//97 // वाणिज्य कर **लखनऊ:: दिनांक अगस्त,20 2010**

कार्यालय आदेश

वैट अधिनियम-2008 की धारा-44 सपठित नियम-43 वैट नियमावली-2008 के उपबन्धों के अधीन सम्व्यहारियों या सम्व्यवहारियों के वर्ग द्वारा दाखिल की गयी कर विवरणी या विवरणियों की सत्यता एवं उत्क्रमित टैक्स क्रेडिट के दावे सहित अन्य दावों की ग्राह्यता की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से वाणिज्य कर जोन स्तर पर ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स आडिट) की तैनाती की गयी है। वाणिज्य कर की इस महत्वपूर्ण शाखा के लिए अवस्थापना सम्बन्धी समुचित एवं परिपूर्ण व्यवस्थायें की जा रहीं हैं। अत: जोनल एडिशनल कमिश्नर के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण के अधीन उक्त ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स आडिट) के प्रारम्भिक रुप से निम्न कार्य एवं दायित्व नियत किये जाते हैं:-

1- जोन स्तर पर टैक्स आडिट के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्थायें करने तथा जोन में टैक्स आडिट व्यवस्था के प्रभारी।
2- जोन में नये पंजीयन एवं पंजीयन निरस्तीकरण की मासिक स्थिति की समीक्षा एवं अनुश्रवण।
3- जोन में मासिक/ त्रैमासिक रिटर्न्स दाखिल करने वाले व्यापारियों की संख्या एवं रिटर्न न दाखिल करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की समीक्षा एवं अनुश्रवण।
4- जोन में मासिक / त्रैमासिक रुप से दाखिल किये गये रिटर्न्स की परिनिरीक्षा की प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण।
5- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवस्थित सम्व्यवहारियों के मानीटरिंग रजिस्टर की सम्भागवार समीक्षा एवं अनुश्रवण।
6- खण्डों में व्यवस्थित की जाने वाली आई0टी0सी0 पंजी की सम्भागवार स्थिति की समीक्षा एवं अनुश्रवण।
7- जोन में प्रत्येक अधिकारी के लिए नियत किये गये निरीक्षण के क्रियान्वयन तथा उनके सापेक्ष अनुपालन की स्थिति की समीक्षा एवं अनुश्रवण।
8- अधोहस्ताक्षरी या जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)/(कारपोरेट सर्किल) अपने अपने सम्भाग/ कारपोरेट सर्किल के खण्डवार पंजीयन, रिटर्न्स के दाखिले, परिनिरीक्षा, मानीटरिंग एवं आ0टी0सी0पंजियां/निरीक्षणों से सम्बन्धित सूचनायें अपने जोन के ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स आडिट) की अपेक्षानुसार प्राथमिकता पर उपलब्ध करायेंगे। समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स आडिट) उपर्युक्त कार्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में मासिक आख्या जिसमे बिन्दुवार तथ्यात्मक एवं अद्यतन स्थिति के साथ-साथ खराब प्रगति वाले सम्भागों/खण्डों का उल्लेख होगा, प्रत्येक अगले माह की 03 तारीख तक जोनल एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से मुख्यालय के संख्या अनुभाग को प्रेषित करेंगे और उक्त आख्यायें समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जायेंगी।

20/8/10
(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक:: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- विशेष सचिव/ उभय संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3- मुख्यालय के समस्त एडिशनल कमिश्नर तथा अपर निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
4- समस्त एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक/ वि0अनु0शा0/ कार्पोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त कर निर्धारक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,उ0प्र0।
8- मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी एवं उप निदेशक (संख्या)वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0।